

12.05.2024 पत्रावली पेश हुई।

आफिसर शर्मा द्वारा अधिसूचित/अभिवक्त
पत्रों में अपने-अपने-पत्रों को जरूरी
नोटिस खारिज करने का निर्देश
किया है।

श्री: आफिसर शर्मा के निर्देश
पर शर्मा-पत्र अंतर्गत धारा 212
राजस्थान अधिकांश अभिनियम को
इति धारा पर जरूरी नोटिस खारिज
किया जाता है।

पत्रावली केवल शुभ संका
नम्बर से कम की जाकर राखिए
दफ्तर में।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यालय मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचर



श्री/श्रीमती
15/2